



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2013-भाद्र 8, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

ORIGINAL COMPANY JURISDICTION

COMPANY APPLICATION (PETITION) NO. 11 OF 2013

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF AN APPLICATION UNDER SECTION 391-394 OF THE SAID ACT

AND

IN THE MATTER OF SCHEME OF ARRANGEMENT

BETWEEN

M/S LAQSHYA DIGITAL MEDIA PRIVATE LIMITED

Jaganlaxmi, Laqshya House,

Next to Rameshwar Temple, Saraswati Baug,

Society Road, Jageshwari (East), Mumbai-400 060

Transferor Company

M/S BHASKAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED

Registered Office at 6, Dwarka Sadan, Press Complex,

M. P. Nagar, Zone 1, Bhopal (M. P.)

Resulting Company/

Petitioner Company

A petition under section 391 and 394 of the companies Act, 1956 for obtaining sanction of this Hon'ble Court to the scheme of arrangement between **M/S LAQSHYA DIGITAL MEDIA PRIVATE LIMITED** (hereinafter referred to as the Transferor Company), **M/S BHASKAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED** (hereinafter referred to as Resulting Company/Petitioner Company) was presented by the petitioners above named on the 06-08-2013 and that the said petition is fixed for hearing before the Hon'ble Company Judge on 20TH SEPTEMBER, 2013.

Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the petitions Advocate, notice of his intention, signed by him or his Advocate, with his name and address, so as to reach the petitioners advocate not later than 2 days before the date fixed for hearing of the petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of the affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Jabalpur, Dated 24TH August, 2013.

ABHINAV P. DHANODKAR,

Advocate for the Petitioner

Indore Address : Chamber No. 110, State Bar Council Building, High Court Campus, Indore-452001 (M. P.)

Jabalpur Address : 25/1-2, Patrakar Colony Ranital Chowk, Jabalpur.

(307-B.)

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-50 (2) के अंतर्गत सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण निम्न क्षेत्र ग्राम महाराजपुर नं. बं. 664, प. ह. नं. 17, हंथना नं. बं. 775, प.ह.नं. 17 एवं ग्राम खैरी नं. बं. 570, प. ह. नं. 17 के तहत नवीन योजना बनाने की घोषणा की जाती है, जिसका भूमि उपयोग जबलपुर विकास प्राधिकरण योजना में मार्ग प्रस्तावित, आवासीय, प्रस्तावित सार्वजनिक तथा प्रस्तावित वाणिज्यिक निर्दिष्ट है जो कि नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण निम्नलिखित निजी भूमि के संबंध में नगर विकास स्कीम तैयार करने का आशय रखता है :—

निजी भूमिस्वामी की सूची

खसरा नम्बर	कुल रकबा	योजना में सम्मिलित रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4

(हेक्टेयर में)

ग्राम महाराजपुर, नं. बं. 664, प. ह. नं. 17

26/3	1.417	0.673	
26/2	1.416	1.386	
21/1	0.288	0.288	
21/2	0.467	0.467	
21/3	0.386	0.386	
27/1	0.842	0.842	
27/2	0.202	0.202	
27/3	0.534	0.534	
27/4	0.558	0.558	
29/2	0.127	0.127	
30/1	0.151	0.151	
31	0.552	0.552	

1	2	3	4
	(हेक्टेयर में)		
32/1	0.176	0.176	
32/2	0.016	0.016	
32/3	0.016	0.016	
32/4	0.016	0.016	
32/5	0.016	0.016	
32/6	0.016	0.016	
32/7	0.016	0.016	
32/8	0.016	0.016	
32/9	0.016	0.016	
32/10	0.016	0.016	
32/11	0.016	0.016	
34/1	0.122	0.122	
35	0.332	0.332	
36	0.709	0.700	
75/1	0.507		
75/2	0.405	0.100	
75/3	0.800		
77	1.072	1.072	
78/1	0.826	0.826	
79/1	0.318	0.318	
80/1	0.040	0.040	
80/2	0.405	0.405	
82/1	1.311	1.250	
83/1	0.272	0.272	
84/1	0.350	0.350	
84/2	0.350	0.350	
85/1	1.165		
85/2	0.405	1.100	
85/3	0.405		
86	0.405	0.350	
87	0.882	0.882	
89/2	0.149	0.149	
90/1			
90/2	0.202	0.202	
90/3	0.202	0.202	
90/4	0.304	0.304	
92	4.820	2.500	
93/1	0.813	0.813	

1	2	3	4
	(हेक्टेयर में)		
93/3	0.729	0.729	
93/5	0.733	0.733	
93/6	0.809	0.809	
94	0.154	0.154	
95/1	0.154	नक्शे पर बटांक न होने की दशा में योजना में सम्मिलित रकबा योजना मानचित्र में दर्शित सीमा अनुसार है.	
96	0.158	0.158	
97	0.243	0.235	
99/1	2.162	2.162	
99/2	1.200	1.200	
100/1	1.416	1.416	
101/3	1.744	1.000	
101/5	0.960	0.200	
103/1	0.202		
103/2	0.203	0.200	
104/1	1.416	1.416	
104/2	0.809	0.809	
105/1	0.485	0.485	
105/2	0.300	0.300	
105/3	0.486	0.486	
106/2	0.300	0.300	
106/4	0.809	0.809	
107/1	0.284	0.284	
107/2	0.320	0.320	
107/3	0.284	0.284	
107/4	0.285	0.285	
108	2.063	2.063	
109	1.732	0.200	
114/1	0.300	नक्शे पर बटांक न होने की दशा में योजना में सम्मिलित रकबा योजना मानचित्र में दर्शित सीमा अनुसार है.	
191/1	1.123		
191/2	1.588	0.300	
207	0.798	0.350	
218/1	0.053	0.053	
218/2	0.052	0.052	
219	0.109	0.109	

1	2	3	4
	(हेक्टेयर में)		
220	0.081	0.081	
251	0.089	0.089	
252/1	0.101		
252/2	0.353	0.300	
253/1	0.072		
253/3	0.333		
253/4	0.018		
253/5			
253/7	0.029	नक्शे पर बटांक न होने की दशा में योजना में सम्मिलित रकबा योजना मानचित्र में दर्शित सीमा अनुसार है.	
253/8	0.011		
253/9	0.007		
253/10	0.007		
253/11	0.007		
253/12	0.011		
254/1	1.120	0.100	
ग्राम हथना नं. बं. 755, प. ह. नं. 17			
235/1	1.090		
235/2	0.600	0.900	
235/3	0.300		
236/1	0.840		
236/2	0.850	1.000	
236/3	0.300		
237/1	1.060		
237/2	0.150		
237/3	0.100		
237/4	0.190	0.600	
237/5	0.190		
237/17	0.030		
238/1	1.530	1.530	
238/2	0.030	0.030	
238/3	0.020	0.020	

1	2	3	4
	(हेक्टेयर में)	ग्राम खैरी, नं. बं. 570, प. ह. नं. 17	
163/1	0.920	0.700	
164/1	0.320	0.320	
165/1	0.150		
165/3	0.040		
165/4	0.010		
165/5	0.730		
165/6	0.010		
165/7	0.010	0.500	
165/8	0.010		
165/9	0.020		
165/10	0.010		
165/11	0.010		
165/13	0.010		
165/14	0.010		
167/1	0.160	नक्शे पर बटांक न होने की दशा में योजना में सम्मिलित रकबा योजना मानचित्र में दर्शित सीमा अनुसार है.	
169	0.370	0.300	
	नोने लाल चढार राजस्व निरीक्षक.	राकेश कुमार गुप्ता भू-अर्जन अधिकारी.	अवध श्रोत्रिय, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

(294-बी.)

कार्यालय उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 22 अगस्त, 2013

धारा-50 की उपधारा (7) के अधीन अंतिम नगर विकास योजना के प्रकाशन की सूचना

क्र. 116/13.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-50 की उपधारा (4) के अधीन अनुमोदित की गई नगर विकास योजना अर्थात् योजना क्र. पी-20/11 (पी.एस.पी.) सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक योजना क्षेत्र कस्बा उज्जैन की भूमि सर्वे क्र. 3309/2 अंशभाग, 3310 अंशभाग, 3312 अंशभाग, 3313 से 3317 तक, 3318 अंशभाग, 3319 अंशभाग, 3320 अंशभाग, 3321, 3322, 3323 अंशभाग, 3333 अंशभाग, 3336 अंशभाग, 3341, 3342 अंशभाग, 4342/4376 अंशभाग, 3336/4374 अंशभाग, 3345 अंशभाग एवं ग्राम सांवरखेड़ी की भूमि सर्वे क्र. 3 अंशभाग, 4 से 16 तक, 16/205, 17, 18, 19, 20/2 अंशभाग, 21/1 अंशभाग, 21/2, 22 से 30 तक, 31 अंशभाग, 41 अंशभाग, 42, 43, 44 अंशभाग, 47 अंशभाग, 48, 49, 50 अंशभाग, 67/1 अंशभाग, 67/2 अंशभाग, 67/3 अंशभाग, 68, 69 अंशभाग, 70 अंशभाग, 75 अंशभाग, 76, 77 अंशभाग, 78 अंशभाग, 103 अंशभाग, 123 अंशभाग, 124 अंशभाग, 127, 128 अंशभाग, 129, 130 अंशभाग, 131 से 146 तक, 147 अंशभाग, 148 अंशभाग, 149, 150/1 अंशभाग, 150/2 अंशभाग, 151/1 अंशभाग, 151/2/1 अंशभाग, 151/2/2 अंशभाग, 156 अंशभाग की भूमि के लिए धारा-50 की उपधारा (7) के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी एतद्द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित की जाती है.

उक्त योजना की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में 90 दिन निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में उपलब्ध हैं:—

1. उज्जैन विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण भवन, भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र, उज्जैन.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, प्राधिकरण भवन, भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र, उज्जैन.

(301-बी.)

Dated 22nd August, 2013

**Notice of Publication of Final Town Development Scheme
under sub-section (7) of section 50**

NOTICE

Sr. No. 116/13.— The Town Development Scheme namely Scheme No. P-20/11 Public & Semi-Public for the area Kasba Ujjain, Survey No. 3309/2 Part, 3310 Part, 3312 Part, 3313 to 3317, 3318 Part, 3319 Part, 3320 Part, 3321, 3322, 3323 Part, 3333 Part, 3336 Part, 3341, 3342 Part, 4342/4376 Part, 3336/4374 Part, 3345 Part and Gram Sanvarakhedi, Survey No. 3 Part, 4 to 16, 16/205, 17, 18, 19, 20/2 Part, 21/1 Part, 21/2, 22 to 30, 31 Part, 41 Part, 42, 43, 44 Part, 47 Part, 48, 49, 50 Part, 67/1 Part, 67/2 Part, 67/3 Part, 68, 69 Part, 70 Part, 75 Part, 76, 77 Part, 78 Part, 103 Part, 123 Part, 124 Part, 127, 128 Part, 129, 130 Part, 131 to 146, 147 Part, 148 Part, 149, 150/1 Part, 150/2 Part, 151/1 Part, 151/2/1 Part, 151/2/2 Part, 156 Part as approved under sub-section (4) of section 50 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) is hereby finally published under sub-section 7 of section 50 for the information of the general public and copies of the said scheme are available for inspection during office hours for 90 days at the following offices :—

1. Ujjain Development Authority, Pradhikaran Bhawan, Administrative Zone, Dewas Road, Ujjain.
2. Joint Director, Town and Country Planning, Pradhikaran Bhawan, Administrative Zone, Dewas Road, Ujjain.

SHIVENDRA SINGH,
Chief Executive Officer.

(301-A-B.)

अन्य सूचनाएं

अधिसूचना

सभी संबंधित लोगों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शिवमन पॉलिमर्स (रजिस्टर्ड साझेदारी फर्म रजि. नं. IF/96/99-2000) पता—237 ए एवं 246 बी, सेक्टर एफ, सांवेर रोड, इन्दौर (म. प्र.) जिसके एक साझेदार श्री अशोक पिता शिवलाल गुप्ता, निवासी इन्दौर दिनांक 31 मार्च, 2013 से तुरन्त प्रभाव से निवृत्त हो गये हैं और श्रीमती रेखा पति प्रदीप वहित्रा, निवासी इन्दौर दिनांक 31 मार्च, 2013 से साझेदारी में शामिल हो गई हैं।

For Shivman Polymers

प्रदीप वहित्रा,
Partner.

For Shivman Polymers

रेखा वहित्रा,
Partner.

(302-बी.)

अधिसूचना

सभी संबंधित लोगों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शिवमन पॉलिमर्स (रजिस्टर्ड साझेदारी फर्म रजि. नं. IF/96/99-2000) पता—237 ए एवं 246 बी, सेक्टर एफ, सांवेर रोड, इन्दौर (म. प्र.) दिनांक 23 मई, 2013 से तुरन्त प्रभाव से नाम परिवर्तन करके मेसर्स श्री पॉलिमर्स हो गया है।

For Shree Polymers

प्रदीप वहित्रा,
Partner.

For Shree Polymers

रेखा वहित्रा,
Partner.

(303-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मेसर्स स्वास्तिक कन्स्ट्रक्शन, हाउस नं. 232, तोमर बिल्डिंग, ठाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश साझेदारी फर्म कार्यरत थी. जिसमें निम्न पार्टनर साझेदार थे. वे निम्न हैं पक्षकार क्रमांक 1. श्री विश्वप्रताप सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, आयु 29 वर्ष, निवासी 484, मोहन नगर, थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश, पक्षकार क्रमांक 2. श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, आयु 34 वर्ष, निवासी 484, मोहन नगर, थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश, पक्षकार क्रमांक 3. श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बी. एस. चौहान, आयु 46 वर्ष, निवासी हाउस नं. 232, तोमर बिल्डिंग, ठाटीपुर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश पक्षकार क्रमांक 4. श्री दिलीप सिंह सिकरवार पुत्र श्री एस. एन. सिंह, आयु 53 वर्ष,

निवासी 81, मयूर मार्केट, थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश सभी पार्टनर साझेदारी फर्म में कार्य कर रहे थे लेकिन पक्षकार क्रमांक 3. श्री हरेन्द सिंह पुत्र श्री बी. एस. चौहान, आयु 46 वर्ष, निवासी हाउस नं. 232, तोमर बिल्डिंग, ठाटीपुर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पक्षकार क्रमांक 4. श्री दिलीप सिंह सिकरवार पुत्र श्री एस. एन. सिंह, आयु 53 वर्ष, निवासी 81, मयूर मार्केट, थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश दोनों साझेदार अपनी स्वेच्छा से दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को फर्म से अलग हो गये हैं. अब आगे इन दोनों साझेदारों का फर्म से कुछ भी लेना देना शेष नहीं है एवं शेष बचे हुये पार्टनर आगे भविष्य में साझेदारी फर्म में कार्य करते रहेंगे ये फर्म के चालू रहने वाले दोनों साझेदार को स्वीकार है. साझेदारी फर्म में उपरोक्त संशोधन के अलावा फर्म के पते में भी परिवर्तन किया गया है. पूर्व में फर्म का पता 232, तोमर बिल्डिंग ठाटीपुर ग्वालियर, मध्यप्रदेश था अब उसको बदल कर वर्तमान में फर्म का पता 484, मोहन नगर, थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश किया गया है.

For M/s Swastik Construction

विश्वप्रताप सिंह,

Partner.

(287-बी.)

इशतहार

हर आम व खास सर्वसाधारण को इस इशतहार नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मेसर्स सोपान रेस्टोरेन्ट, इटारसी, पंजीयन क्रमांक 89/09-10, जो कि साझेदारी फर्म है, इनके दो साझेदार श्री शिवभूषण पाण्डेय एवं शिवाकान्त पाण्डेय दोनों ही पिता श्री एस. सी. पाण्डेय दोनों ही निवासी जैकब कम्पाउन्ड, सूरजगंज, इटारसी इस फर्म से अपने आप को अलग करते हुए इस फर्म में न रहने का निर्णय लिया है एवं नये साझेदार के रूप में श्रीमती सुनीता पाण्डेय पत्नि श्री एस. के. पाण्डेय, निवासी जैकब कम्पाउन्ड, सूरजगंज, इटारसी इस साझेदारी फर्म मेसर्स सोपान रेस्टोरेन्ट, इटारसी में भागीदार के रूप में सम्मिलित होने जा रही है, इस पर किसी को कोई आपत्ति हेतु प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर मय दस्तावेज प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. मियाद गुजर जाने के पश्चात् उक्त फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित किया जावेगा तथा बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी.

फर्म साझेदार

आनन्द शंकर पाण्डेय,

फर्म मे. सोपान रेस्टोरेन्ट, इटारसी (म.प्र.).

(295-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स भदौरिया कंस्ट्रक्शन्स, रजिस्ट्रेशन क्रमांक 07/33/01/00058/09 से दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 को श्री शीतल सिंह पिता रामेन्द्र सिंह भदौरिया स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं. उक्त वर्णित पर किसी भी संस्था, व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन से तीन दिवस की अवधि में संस्था कार्यालय पर आपत्ति दर्ज कराये. तत्पश्चात् सभी भागीदारों की कोई जवाबदारी नहीं होगी.

मेसर्स भदौरिया कंस्ट्रक्शन्स,

अमित कावडिया,

पार्टनर.

पता-13, बसंत विहार रोड, आनंद पब्लिक स्कूल के पास,

नानाखेडा क्षेत्र, उज्जैन (म.प्र.).

(296-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे व्यवहारी श्री नवीन शिवहरे पुत्र श्री चिरोंजीलाल शिवहरे, श्री प्रवीण शिवहरे पुत्र चिरोंजीलाल शिवहरे, निवासीगण तानसेन रोड, ग्वालियर एवं कुमारी श्रेया रैली पुत्री श्री गौतम रैली, आयु 8 वर्ष पालक श्री गौतम रैली कुमारी श्रेया रैली, निवासी सदर बाजार, मुरार, ग्वालियर द्वारा मेसर्स सी.पी. गुडस के नाम से साझेदारी पत्रक दिनांक 18 मई, 2011 के अनुसार साझेदार होकर व्यवसाय करते थे. अब नवीन संशोधित साझेदारी पत्रक दिनांकित 3 जुलाई, 2013 द्वारा नवीन शिवहरे, प्रवीण शिवहरे पुत्रगण श्री चिरोंजीलाल शिवहरे दोनों निवासीगण एम-40, गाँधी नगर, ग्वालियर एवं कुमारी श्रेया रैली पुत्री श्री गौतम रैली, आयु 8 वर्ष निवासी सदर बाजार, मुरार, ग्वालियर पालक श्री गौतम रैली कुमारी श्रेया रैली के अतिरिक्त इस साझेदारी फर्म में श्री ब्रिजेश श्रीवास्तव पुत्र श्री बंदी प्रसाद श्रीवास्तव, आयु 41 वर्ष, निवासी हरीशंकरपुरम, ग्वालियर फर्म में साझेदार होना तय किया गया है. तदानुसार साझेदारी फर्म मेसर्स सी. पी. गुडस में उपरोक्तानुसार चार पार्टनर्स हो गये हैं और यह साझेदारी दिनांक 03 जुलाई, 2013 से प्रभावी हो गई है.

सर्व-साधारण के सूचनार्थ यह सूचना-पत्र प्रकाशित की जा रही है.

अनिल भल्ला,

सी. ए.

ए-6, 7, द्वितीय तल, साईं अपार्टमेन्ट,

जयेन्द्रगंज, ग्वालियर (म. प्र.).

(306-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, दीप्ति ठाकुर, एडवोकेट इन्दौर ने अपना पुराना नाम परिवर्तित कर श्रीमती दीप्ति सिंह कर लिया है. अब मैं इसी नाम से जानी जाऊंगी.

पुराना नाम :

(दीप्ति ठाकुर)

(288-बी.)

नया नाम :

(दीप्ति सिंह)

एस/303, शालीमार पाम्स
पिपल्याहाना, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, सुशील कुमार कर्णवार मेरे पुत्र का नाम मिहिर सुशिल कर्णवार था, जो कि अब बदलकर जय सुशील कर्णवार हो गया है. आज के बाद मेरे पुत्र को जय सुशील कर्णवार के नाम से जाना, पहचाना जावे.

सुशील कुमार कर्णवार (पिता)

निवासी एच-135, न्यूफोर्ट एक्सटेंशन,
नियर अवधपुरी के पास, बरखेड़ा पठानी,
भोपाल (म. प्र.) पिन: 462024.

(289-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में रामनरेश शर्मा है. अब मैं अपने नाम के साथ रामनरेश मिश्र लिखवाना चाहता हूँ.

अतः शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में नाम रामनरेश मिश्र लिखा एवं पढ़ा जाए.

पुराना नाम :

(रामनरेश शर्मा)

(290-बी.)

नया नाम :

(रामनरेश मिश्र)

पता-वार्ड क्र. 43, हनुमान नगर,
गुढ़ रोड, रीवा (म. प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, शोभना केशव राव अम्बेडकर ने विवाह उपरान्त अपना नाम परिवर्तन कर शीतल जामरे कर लिया है.

अतः अब से मुझे शीतल जामरे के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(शोभना केशवराव अम्बेडकर)

(291-बी.)

नया नाम :

(शीतल जामरे)

A -10/16, महानावदा नगर,
उज्जैन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम लीना आहूजा पति शंकरलाल आहूजा था. जो अब परिवर्तित होकर कोमल आहूजा पति शंकरलाल आहूजा हो गया है, अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम कोमल आहूजा पति शंकरलाल आहूजा के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(लीना आहूजा)

(292-बी.)

नया नाम :

(कोमल आहूजा)

701, उषा नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती सर्वांगिनी बिसेन पति सुरेन्द्रसिंह बिसेन, ग्राम बल्हारपुर, पोस्ट-बोरी, तहसील-लालबर्वा, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश की निवासी हूँ. विवाह के पूर्व मेरा नाम कु. सरिता चौहान पिता श्री जागेश्वर चौहान, ग्राम-लेण्डेझरी, पोस्ट-चिल्लौद, तहसील-वारासिवनी, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश था. जो सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में दर्ज हैं. मेरा विवाह 20 मई, 2003 को होने के बाद मेरा नाम

एवं उपनाम परिवर्तित होकर श्रीमती सर्वांगिनी सुरेन्द्रसिंह बिसेन, ग्राम बल्हारपुर (लालबर्बा) हो गया है और इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। अतः अब मेरे सभी शैक्षणिक व अन्य प्रमाण-पत्रों में यही नाम दर्ज माना जावेगा।

पुराना नाम :
(सरिता चौहान)
पति-जागेश्वर चौहान
(293-बी.)

नया नाम :
(सर्वांगिनी बिसेन)
पति-सुरेन्द्रसिंह बिसेन,
ग्राम बल्हारपुर (लालबर्बा).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम वृत्तिका आहुजा पति जीतेन्द्र आहुजा था, जो अब परिवर्तित होकर नया नाम नितु आहुजा पति जीतेन्द्र आहुजा हो गया है। अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम नितु आहुजा पति जीतेन्द्र आहुजा के नाम से जाना एवं पहचाना जावें।

पुराना नाम :
(वृत्तिका आहुजा)
(297-बी.)

नया नाम :
(नितु आहुजा)
पति श्री जीतेन्द्र आहुजा,
29-बी, पलसीकर कॉलोनी,
इन्दौर (म.प्र.).

CHANGE IN NAME

I, Anar Turakhia, here by Declare that I have change My name as Shreya Turakhia. So, from now and in future. I will be known by New Name.

Old Name :
(ANAR TURAKHIA)
(298-B.)

New Name :
(SHREYA TURAKHIA)
W/o Sanjay Turakhia
Add.-23/1, Race Course Road
Indore (M.P.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम पूर्व में उत्कर्ष सेठ था। अब मैंने उसका नाम उत्कर्ष साहू रख लिया है। अतः इसको इस नाम से जाना जावे।

उमाशंकर साहू
(पिता)
नारायण नगर, होशंगाबाद (म.प्र.).
(299-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम पूर्व में श्री कृष्णा सेठ था। अब मैंने उसका नाम श्री कृष्णा साहू रख लिया है। अतः इसको इस नाम से जाना जावे।

उमाशंकर साहू
(पिता)
नारायण नगर, होशंगाबाद (म.प्र.).
(299-A-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम पूर्व में अमन सेठ था। अब मैंने उसका नाम अमन साहू रख लिया है। अतः इसको इस नाम से जाना जावे।

द्वारका साहू
(पिता)
प्रोफेसर कॉलोनी, आनंद नगर,
होशंगाबाद (म.प्र.).
(300-बी.)

नाम परिवर्तन

शादी के पहले मेरा नाम कुमारी स्नेहलता मालगे आत्मजा श्री मधुसुदन मालगे था. शादी के बाद मेरा नाम बदलकर श्रीमती स्नेहा शिरोड पति श्री प्रमोद कुमार शिरोड हो गया है. अब मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाए और मेरे सभी शैक्षणिक/शासकीय दस्तावेजों में यही नाम मान्य होगा.

पुराना नाम :
(स्नेहलता मालगे)

आत्मजा श्री मधुसुदन मालगे

(304-बी.)

नया नाम :

(स्नेहा शिरोड)

पति श्री प्रमोद कुमार शिरोड,
सी-74, बीएमएचआरसी कैम्पस,
भोपाल (म. प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मेरा नाम विवाह के पूर्व कु. सोनू शर्मा पुत्री श्री श्रीराम शर्मा था. मेरा विवाह श्री पवन कुमार दुबे पुत्र स्व. श्री रामेश्वर दयाल दुबे, निवासी—क्वार्टर नं. 337, न्यू कॉलोनी नं. 1, बिरला नगर, ग्वालियर (म. प्र.) के साथ दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 को हो गया है. अतः मुझे श्रीमती सोनू दुबे के नाम से जाना व पहचाना जावे तथा समस्त दस्तावेजों में श्रीमती सोनू दुबे ही मान्य किया जावे.

पुराना नाम :
(सोनू शर्मा)

(305-बी.)

नया नाम :

(सोनू दुबे)

पत्नी श्री पवन कुमार दुबे,
बिरला नगर, ग्वालियर.

विविध**न्यायालयों की सूचनाएं****न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, कुक्षी, जिला धार**

कुक्षी, दिनांक 17 जुलाई, 2013

फॉर्म-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश न्यास अधिनियम, 1951 (तीसवां) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) के द्वारा]

आवेदक मनोहरलाल पिता मणीलालजी जैन, अध्यक्ष श्री पार्श्वनाथ राजेन्द्र जैन, ट्रस्ट तालनपुर तहसील कुक्षी, जिला धार ने मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-35 के अंतर्गत अनुसूची में उल्लेखित पंजीकृत सार्वजनिक न्यास के ट्रस्टियों के नाम बदलने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जिनकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 13 अगस्त, 2013 को प्रातः 11. 00 बजे की जावेगी.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त पंजीकृत न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम : श्री पार्श्वनाथ राजेन्द्र जैन, ट्रस्ट तालनपुर.
2. नवीन ट्रस्टियों के नाम :-

क्र.	नाम	पद
1.	श्री मनोहरलाल पिता मणीलाल जैन	अध्यक्ष
2.	श्री जयेशकुमार प्रकाशचन्द्र जैन	सचिव

क्र.	नाम	पद
3.	श्री अशोककुमार राजमल जैन	कोषाध्यक्ष
4.	श्री जिनेन्द्रकुमार कनकचन्द जैन	ट्रस्टी
5.	श्री दिलिपकुमार संतोषीलाल जैन	ट्रस्टी
6.	श्री अशोककुमार शांतिलाल जैन	ट्रस्टी
7.	श्री नरेन्द्रकुमार तिलोकचन्द जैन	ट्रस्टी
8.	श्री सुरेशकुमार बाबुलाल जैन	ट्रस्टी
9.	श्री सुशिलकुमार संतोषीलाल जैन	ट्रस्टी
10.	श्री राजेन्द्रकुमार कनकचन्द जैन	ट्रस्टी
11.	श्री नरेशकुमार तिलकचन्द जैन	ट्रस्टी

रेखा राठौर,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(407)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मन्दसौर

दिनांक 06 अगस्त, 2013

प्र. क्र. 05/-113 (1)/2012-13.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) लोक न्यास नियम, 1962 नियम-5 (1)]

पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर के समक्ष.

“श्री दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर ट्रस्ट, शहर किला रोड, मन्दसौर, मध्यप्रदेश.” अध्यक्ष अजयकुमार बाकलीवाल पिता कुशलकुमार, नि. हजारी नगर मन्दसौर.

2. चूँकि “श्री दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर ट्रस्ट, शहर किला रोड, मन्दसौर, मध्यप्रदेश.” द्वारा मुख्य न्यासधारी- अध्यक्ष अजयकुमार बाकलीवाल, ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 23 अगस्त, 2013 को विचार के लिए लिया जावेगा.

3. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो और इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

4. अतः मैं, वीरसिंह चौहान, पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 23 अगस्त, 2013 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से नियत पेशी दिनांक 23 अगस्त, 2013 के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

सम्पत्ति का विवरण :— ट्रस्ट की सभी चल-अचल सम्पत्तियां ट्रस्ट के अधिकार व आधिपत्य में होकर जिनमें स्वत्व विलेख की छाया प्रतियां संलग्न हैं जो निम्न प्रकार हैं.—

1. चल सम्पत्ति:— चाँदी का मुकुट, चाँदी का छत्र, पंखा, इन्वर्टर, साउण्ड सेट, आरती सेट-5 पीतल के, पीतल के वर्तन, थाली, लोटा, ग्लास, बाल्टी, कटोरी, प्लेटें-अनुमानित कीमत 45,000/- रु.

2. अचल सम्पत्ति:— 1- अशोक मार्ग, मन्दसौर मकान नं. 198 अनुमानित कीमत 4.00 लाख, 2- लक्ष्मण दरवाजा, मन्दसौर में मंदिर बना हुआ है मकान क्रं.-17, अनुमानित कीमत 6.00 लाख, 3- कुन्जडा गली, मन्दसौर स्थित मकान नं.-5, अनुमानित कीमत 2.00 लाख रु. चल-अचल सम्पत्ति की कुल राशि 12,45,000/- रु. है. (बारह लाख पैतालिस हजार रुपये मात्र) है. लोक न्यास का नाम:- “श्री दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर ट्रस्ट, शहर किला रोड, मन्दसौर, मध्यप्रदेश.”

(433)

दिनांक 23 जुलाई, 2013

प्र. क्र. 04/ -113 (1)/2012-13.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) लोक न्यास नियम, 1962 नियम-5 (1)]

पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर के समक्ष.

“रोटरी जनसेवा, ट्रस्ट मन्दसौर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश.” प्रबंधक प्रमोद पिता सोगरमल कीमती नि. 75 शिवजी बसेर नगर, मन्दसौर.

2. चूँकि “रोटरी जनसेवा, ट्रस्ट मन्दसौर, अग्रसेन नगर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश.” द्वारा मुख्य न्यासधारी प्रमोद पिता सोगरमल कीमती नि. मन्दसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 23 अगस्त, 2013 को विचार के लिए लिया जावेगा.

3. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो और इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

4. अतः मैं, वीरसिंह चौहान, पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 23 अगस्त, 2013 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से नित्य पेशी दिनांक 23 अगस्त, 2013 के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

सम्पत्ति का विवरण :- ट्रस्ट की सभी चल-अचल सम्पत्तियां ट्रस्ट के अधिकार व आधिपत्य में होकर जिनमें स्वत्व विलेख की छायाप्रतियां संलग्न हैं जो निम्न प्रकार हैं.—

1. अचल सम्पत्ति:—भू-खण्ड क्रं. 39 व 40 अग्रसेन नगर, मन्दसौर में स्थित है जो विक्रय पत्र क्र. 1402, दिनांक 12 सितम्बर, 2008 के द्वारा क्रय किया गया है. विक्रय मूल्य 2,42,000/- रु. है.

2. चल सम्पत्ति:—ट्रस्ट की चल सम्पत्ति के रूप में 5496/- रु. देना बैंक शाखा मन्दसौर में जमा किये हैं, चल-अचल सम्पत्ति की कुल राशि 2,47,496/- रु. है. (दो लाख सैतालिस हजार चार सौ छियाणवे रुपये) है. लोक न्यास का नाम :- “रोटरी जनसेवा, ट्रस्ट, मन्दसौर जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश.”

वीरसिंह चौहान,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(408)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 09/बी-113/2011-12.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,

लोक न्यास, उज्जैन,

जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि प्रतिनिधि श्री जगदीशचन्द्र कुलमी पिता स्व. श्री पुरीलालजी कुलमी, निवासी-ए, 4/3, महानंदा नगर, उज्जैन आदि ने मराठी, व्यवसायिक मण्डल न्यास उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 06 अगस्त, 2013 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन जिला उज्जैन, का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 06 अगस्त, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	..	प्रेम यमुना सेवा ट्रस्ट, उज्जैन.
कार्यालय	..	113, हरिओम, विहार, महाशक्ति नगर, पानी की टंकी के पास, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.
चल सम्पत्ति	..	8800/- रुपये नगद है.

(409)

प्र. क्र. /बी-113/2012-13.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास, उज्जैन,
जिला उज्जैन के समक्ष.

चौक प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र कुमार सांखला पिता श्री भागीरथ सांखला, निवासी-112, सांखला भवन, नई सड़क उज्जैन, आदि ने श्री राम जानकी शैक्षणिक एवं पारमार्थिक न्यास उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 02 सितम्बर, 2013 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन जिला उज्जैन, का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 02 सितम्बर, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	..	श्री राम जानकी शैक्षणिक एवं पारमार्थिक न्यास, उज्जैन.
कार्यालय	..	53, चौसठ योगिनी मार्ग, उर्दूपुरा उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.
चल सम्पत्ति	..	5000/- रुपये जिला सहकारी बैंक केन्द्रीय मर्यादित में अकाउन्ट नं. 089 में जमा है.

(409-A)

आर. एस. मीना,
पंजीयक एवं संयुक्त कलेक्टर.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, क्षेत्र लशकर, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 08 अगस्त, 2013

प्र. क्र. 04/2012-13/बी-113 (1).

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

श्रीकान्तनाथ ढोलीबुआ महाराज, गुरु स्व. श्री वासुदेवनाथ ढोलीबुआ महाराज, निवासी खासगी बाजार, ढोलीबुआ का पुल, लशकर ग्वालियर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 की 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 09 सितम्बर, 2013 को विचार के लिये दिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 09 सितम्बर, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह आदेशित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या हितकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

- | | | |
|--------------------------------|----|---|
| 1. लोक न्यास का नाम और पता | .. | संस्थान श्री 1008 महिपतिनाथ ढोलीबुआ महाराज, खासगी बाजार, ढोलीबुआ का पुल, लशकर, जिला ग्वालियर. |
| लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन | .. | उक्त सम्पत्ति ढोलीबुआ का पुल, लशकर, ग्वालियर में है जिसका भवन क्र. 319, वार्ड क्र.-40, जोन 18 है जिसका नक्शा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न है. |
| 2. चल सम्पत्ति | .. | 5,000/- रुपये (पांच हजार रुपये) |
| 3. अचल सम्पत्ति | .. | आवेदन-पत्र के साथ नक्शा संलग्न है. |

अनुज रोहतगी,

पंजीयक.

(410)

न्यायालय पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक न्यास दमोह, मध्यप्रदेश

दमोह, दिनांक 07 जून, 2013

प्रारूप क्रमांक-4

[देखिए नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1)के द्वारा]

क्र. क/पं.सा.न्यास./13.—यह कि श्रीमति लीलावती राजपूत, अध्यक्ष धरती माता व मानव सेवार्थ सर्वधर्म, लोक न्यास दमोह पति स्व. श्री एम. एल. राजपूत साकिन राजपूत भवन, शिक्षक कालोनी दमोह, तहसील व जिला दमोह ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 16 जुलाई, 2013 के 02.00 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|---------------------------|----|--|
| 1. लोक न्यास का नाम व पता | .. | धरती माता व मानव सेवार्थ सर्वधर्म लोक न्यास दमोह, तहसील व जिला दमोह. |
| 2. दान चल सम्पत्ति | .. | 5000.00 |

मनोज कुमार ठाकुर,
पंजीयक.

(429)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा

प्र. क्र. 03/बी-113(1)/2011-12.

दिनांक 03 अगस्त, 2013 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1), के अन्तर्गत]

जैसा कि भावसार बाबा बालकदास आश्रम एवं हिंगलाज वाटिका, हनुमान मंदिर ट्रस्ट खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951, की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 27 अगस्त, 2013 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

- | | | |
|------------------------|----|--|
| सार्वजनिक न्यास का नाम | .. | भावसार बाबा बालकदास आश्रम एवं हिंगलाज वाटिका, हनुमान मंदिर ट्रस्ट खण्डवा |
| पता | .. | ट्रस्ट, निर्मलधाम जसवाडी रोड, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा. |
| चल सम्पत्ति | .. | रुपये 1,000/- नगद. |
| अचल सम्पत्ति | .. | निरंक. |

हरिसिंह चौधरी,
अनुविभागीय अधिकारी.

(430)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, पेटलावद, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं 5 (1) अंतर्गत]

इस न्यायालय में आदिवासी भील समाज, "धर्मशाला" ट्रस्ट, भाटखेड़ी, के प्रधान ट्रस्टी श्री शंभुलाल पिता बाबु मैड़ा, निवासी भाटखेड़ी, तहसील पेटलावद, द्वारा आदिवासी भील समाज "धर्मशाला" ट्रस्ट भाटखेड़ी के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया. ट्रस्ट के नाम से चल-अचल सम्पत्ति निरंक है.

आदिवासी भील समाज, "धर्मशाला" ट्रस्ट, भाटखेड़ी का पंजीयन किये जाने के सम्बन्ध में कोई अन्य किसी व्यक्ति या उपरोक्त ट्रस्ट, की सम्पत्ति बाबद् किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रखता हो तो कोई भी अपनी आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में लिखित रूप से उद्घोषणा प्रकाशन के एक माह के भीतर दिनांक 05 सितम्बर, 2013 को मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या मुख्याय के द्वारा प्रस्तुत कर सकता है, मियाद बाद प्राप्त आपत्ति पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा.

आज दिनांक 05 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

विष्णु कमलकर,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(431)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, झाबुआ मध्यप्रदेश

रा. प्र. क्र...../बी-113/2012-13.

झाबुआ, दिनांक 21 जून, 2013

फॉर्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) के तहत]

क्र. 2224/रीडर/2013.—आवेदक हेमन्द्र पिता शांतिलाल बाबेल, निवासी झाबुआ, द्वारा श्री शंखेश्वर पद्म पद्मावति द्रव्य ट्रस्ट, झाबुआ को सार्वजनिक लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र धारा 4-5, मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है.

2. जिसकी सुनवाई 21 जुलाई, 2013 को इस न्यायालय में समय प्रातः 11.00 बजे की जावेगी.

3. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट की सम्पत्ति के प्रति रुचि हो और प्रकरण में नियत दिनांक 21 जुलाई, 2013 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे नियत दिनांक को इस न्यायालय में उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि पश्चात प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|------------------|----|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम | .. | श्री शंखेश्वर पद्म पद्मावति द्रव्य ट्रस्ट, झाबुआ. |
| 2. अचल सम्पत्ति | .. | निरंक. |
| 3. चल सम्पत्ति | .. | रुपये 1,42,000/-(एक लाख बयालिस हजार रुपये)
नर्मदा ग्रामीण बैंक में जमा हैं. |

सज्जय चतुर्वेदी,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(432)

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

(आदेश)

भोपाल, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

क्र. ई-1/194/2012/5/एक.—सुश्री शनमुगा प्रिया आर. भाप्रसे (2010) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के ओ. एम. क्रमांक 19016/1/87.Estt (A), दिनांक 12 मार्च, 1987 में निहित प्रावधानानुसार “सुश्री शनमुगा प्रिया आर.” का नाम परिवर्तन कर अब “श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्र” (Shanmuga Priya Mishra) करने की अनुमति प्रदान की जाती है. तदनुसार सभी कार्यालयीन प्रयोजनों के लिये अब उन्हें “श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्र” (Shanmuga Priya Mishra) नाम से जाना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अश्विनी कुमार राय,

सचिव 'कार्मिक'.

(434)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

फल-फूल एवं साग-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी.डब्ल्यू.आर./318, दिनांक 17 मार्च, 1979 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./86/2, दिनांक 02 जनवरी, 1988 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है।

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये फल-फूल एवं साग-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

आर. के. वाजपेई,
उप-पंजीयक.

(411)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/3074.— इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	97/19-03-1985
2.	विकास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	108/18-10-1985
3.	अभिभाषक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1018/10-10-1991
4.	श्री ठाकुर जी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1662/02-03-2005
5.	रेखा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1598/26-09-2002
6.	गुरू टेकचन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर	89/30-06-1988
7.	सरस्वती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., तराना	53/05-05-1975

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं उज्जैन के पत्र क्रमांक/अंके./2012/310, दिनांक 13 सितम्बर, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्थाएं अकार्यशील हैं। उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	97/19-03-1985	श्री संजीव शर्मा, व. स. नि.
2.	विकास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	108/18-10-1985	-''-
3.	अभिभाषक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1018/10-10-1991	-''-
4.	श्री ठाकुर जी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1662/02-03-2005	-''-

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	रेखा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1598/26-09-2002	श्री संजीव शर्मा, व. स. नि.
6.	गुरू टेकचन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर	89/30-06-1988	-''-
7.	सरस्वती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., तराना	53/05-05-1975	-''-

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(412)

उज्जैन, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/3075.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	नालंदा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	76/20-08-1981
2.	माँ श्रीमहालक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	877/26-07-1987
3.	स्वास्तिक नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	878/01-08-1989
4.	गुडलक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1445/28-02-1997
5.	प्रेसिम कार्यकर्ता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा	31/18-03-1974
6.	वर्धमान गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा	103/30-07-1985
7.	राजेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा	137/28-09-1988

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं उज्जैन के पत्र क्रमांक/अंके./2012/310, दिनांक 13 सितम्बर, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है. उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	नालंदा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	76/20-08-1981	श्री गिरीश शर्मा, व. स. नि.
2.	माँ श्रीमहालक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	877/26-07-1987	-''-
3.	स्वास्तिक नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	878/01-08-1989	-''-

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	गुडलक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1445/28-02-1997	श्री गिरीश शर्मा, व. स. नि.
5.	ग्रेसिम कार्यकर्ता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा	31/18-03-1974	-''-
6.	वर्धमान गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा	103/30-07-1985	-''-
7.	राजेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा	137/28-09-1988	-''-

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया. .

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(412-A)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	महाराजा परस्पर साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	1475/21-01-98	433/27-02-12	433/27-02-12
2.	महिला जीवन विकास सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	53/18-10-56	1078/28-05-12	1078/28-05-12
3.	गोल्डन सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	1620/06-11-03	1079/28-05-12	1079/28-05-12
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रामावासा.	838/04-03-89	1082/28-05-12	1082/28-05-12
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सिलोदामोरी.	865/26-07-89	1077/28-05-12	1077/28-05-12
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खजूरिया कुमावत.	471/25-08-80	1246/19-06-12	1246/19-06-12
7.	नेहा प्रिंटिंग सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	1504/24-04-99	1311/26-06-12	1311/26-06-12

अतः मैं, आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ, कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा. उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद

प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

(413)

उज्जैन, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	पीतल पात्र निर्माण एवं औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	617/19-12-57	55/09-01-96	1791/25-11-11
2.	विक्रम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	5/08-03-60	348/19-09-85	1791/25-11-11
3.	हीरा मिल परस्पर साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	4090/17-12-47	1046/11-04-96	1791/25-11-11
4.	विजयेता साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	758/17-07-87	2444/31-12-07	1791/25-11-11
5.	विद्युत कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित, नागदा.	1030/20-01-92	2444/31-12-07	1791/25-11-11
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चितामण जवासिया.	716/24-09-85	1884/25-07-01	2384/04-12-12
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नवादा.	433/22-03-77	1352/27-06-07	2384/04-12-12
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मतानाकलॉ.	379/20-08-76	1232/18-06-12	2384/04-12-12

अतः मैं, आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा. उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

(413-A)

आर. एल. नागर,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

उज्जैन, दिनांक 07 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/2384, उज्जैन, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., पिपलूर तह. बड़नगर	2384/04-12-12	670/04-04-84
2.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., पलइना	2384/04-12-12	854/
3.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., चिरोल्यकला	2384/04-12-12	774/22-03-88
4.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., बर्डिया	2384/04-12-12	780/24-03-88
5.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., बालोदाकोरन	2384/04-12-12	779/24-03-88
6.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., जलोदसंखर	2384/04-12-12	697/31-01-85
7.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., असावता	434/27-02-12	738/02-09-86

अतः मैं, नरसिंह कनेल, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 07 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(414)

नरसिंह कनेल,
सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक, रजवाड़ी महिला बहुउद्देशीय स्वा. सहकारिता मर्या., गावड़ी देवसी

दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

रजवाड़ी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गावड़ी देवसी, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 34, दिनांक 22 अप्रैल, 2003 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे

लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(415)

कार्यालय परिसमापक, वैभव लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय स्वा. सहकारिता मर्या., रूनिजा

दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

वैभव लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रूनिजा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 22 अप्रैल, 2003 है, को उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(415-A)

कार्यालय परिसमापक, ग्रेसिम एम्पलाईज स्वा. उपभोक्ता कल्याण सहकारिता मर्या., नागदा

दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

ग्रेसिम एम्पलाईज स्वा. उपभोक्ता कल्याण सहकारी संस्था मर्या., नागदा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 79, दिनांक 03 जुलाई, 2005 है, को उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(415-B)

एच. एल. मझोरे,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 22 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/3045, उज्जैन, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी

संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	भारत सेवक गुड़ खाण्डसारी उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, करोहन	73/10-02-1961	3866/17-07-1969
2.	उज्जैन गुड़ खाण्डसारी उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, साहिबखेड़ी	21/26-05-1966	7164/07-11-1964
3.	भारत सेवक गुड़ खाण्डसारी उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, तुलाहेड़ा	168/21-03-1963	1331/01-04-1971

अतः मैं, एन. के. राय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 22 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(416)

एन. के. राय,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 11 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012-13/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	97/19-03-1985	3074/29-12-2012
2.	विकास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	108/18-10-1985	3074/29-12-2012
3.	अभिभाषक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1018/10-10-1991	3074/29-12-2012
4.	श्री ठाकुर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1662/02-03-2005	3074/29-12-2012
5.	रेखा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1598/26-09-2002	3074/29-12-2012
6.	गुरु टेक चन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर	89/30-06-1988	3074/29-12-2012
7.	सरस्वती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., तराना	53/05-05-1975	3074/29-12-2012

अतः मैं, संजीव शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/ सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

संजीव शर्मा,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(417)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञापित प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2012/3046, उज्जैन, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	प्रभात चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., बड़नगर	193/20-06-55	4210/05-07-67
2.	चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., अमला	154/22-09-63	1084/13-02-92
3.	चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	196/18-10-63	1333/01-04-71
4.	चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., करनावद	189/15-07-63	490/02-02-84
5.	रविदास चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., सागोतीमाता	217/30-06-64	488/02-02-84
6.	चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., नैनावद	170/13-02-63	1522/21-10-75
7.	चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., सालाखेड़ी	17/20-02-60	7374/15-11-07
8.	चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., माकडोन	211/25-06-64	1395/26-06-79
9.	चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., पचोला	199/12-11-63	1593/25-08-72
10.	चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., रोहिडा	179/14-04-63	1084/13-02-92

अतः मैं, प्रदीप नाहटा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

(418)

प्रदीप नाहटा,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/5410.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मंगल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./663, दिनांक 23 मार्च, 1997 है, संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था के निर्वाचन नहीं होने से संस्था के निर्वाचन अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निवेदन किया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, जगदीश कनोज, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर मंगल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र जैन, स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(419)

जगदीश कनोज,

उपायुक्त (सहकारिता).

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, तामिया, जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप आयुक्त सहकारिता, छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./उपछि/परि./2013/458, छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 मार्च, 2013 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:—

क्रमांक	परिसमापन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	बांगई दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., बांगई	703/01-01-2009	458/26-03-2013
2.	बेलखेडी दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., बेलखेडी	704/01-01-2009	458/26-03-2013
3.	हरसदिवारी दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., हरसदिवारी	705/01-01-2009.	458/26-03-2013

1	2	3	4
4.	निशान दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., निशान	706/01-1-2009	458/26-03-2013
5.	जामुनाढोंगा दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., जामुनाढोंगा	707/24-1-2009	458/26-03-2013
6.	मुंगसिया दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., मुंगसिया	708/24-1-2009	458/26-03-2013
7.	भाण्डी दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., भाण्डी	709/24-1-2009	458/26-03-2013
8.	कुर्सीढाना दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., कुर्सीढाना	710/24-1-2009	458/26-03-2013
9.	नारीप्रगति महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., छिन्दीपातालकोट.	640/21-2-2003	458/26-03-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ किसी के पास हों, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी/उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 15 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

आर. के. काम्बले,

(420)

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक, माधव महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दिनारा, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

माधव महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., दिनारा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 462, दिनांक 05 मार्च, 1962 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1377, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(421)

उमेश पाठक,

सह. निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक, महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ककरई, जिला शिवपुरी

दिनांक 16 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ककरई, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 506, दिनांक 08 अक्टूबर, 2004 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2442, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 16 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(422)

कार्यालय परिसमापक, महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., वीलवरामाता, जिला शिवपुरी

दिनांक 16 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., वीलवरामाता, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 500, दिनांक 07 अगस्त, 2004 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2441, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 16 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(422-A)

कार्यालय परिसमापक, पिछड़ा वर्ग महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., उमरी मिलोडी, जिला शिवपुरी

दिनांक 16 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

पिछड़ा वर्ग महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., उमरी मिलोडी, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 488, दिनांक 04 मार्च, 2004 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2440, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 16 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(422-B)

कार्यालय परिसमापक, महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भदेरा, जिला शिवपुरी

दिनांक 16 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भदेरा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 438, दिनांक 11 फरवरी, 1999 है, को उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2439, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 16 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

रमेश जैन,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(422-C)

कार्यालय परिसमापक, अ. ज. जा. खनिज पत्थर उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., बम्हारी, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

अ. ज. जा. खनिज पत्थर उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., बम्हारी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 473, दिनांक 13 जनवरी, 2003 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2410, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

पी. के. गुप्ता,

सहकारी निरीक्षक /परिसमापक.

(423)

कार्यालय परिसमापक, मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मेहरा, जिला शिवपुरी

दिनांक 16 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मेहरा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 511, दिनांक 09 जून, 2005 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2427, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि

हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 16 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(424)

कार्यालय परिसमापक, इन्द्रा आदिवासी वन श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., वीलवरा, जिला शिवपुरी

दिनांक 16 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

इन्द्रा आदिवासी वन श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., वीलवरा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 181, दिनांक 12 मई, 1966 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2444, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 16 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(424-A)

कार्यालय परिसमापक, ऊन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भटनावर, जिला शिवपुरी

दिनांक 16 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

ऊन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भटनावर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 174, दिनांक 19 जून, 1965 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2443, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 16 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(424-B)

कार्यालय परिसमापक, चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., वामौरकला, जिला शिवपुरी

दिनांक 16 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., वामौरकला, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 102, दिनांक 23 सितम्बर, 1961 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2451, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 16 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

डी. के. मडोइया,
परिसमापक.

(424-C)

कार्यालय परिसमापक, आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., धिरैंटा, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र/Q-1.—आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., धिरैंटा, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 484, दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 है, को उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 232, दिनांक 18 जनवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 28 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

व्ही. डी. अग्रवाल,
परिसमापक.

(425)

कार्यालय परिसमापक, फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिला शिवपुरी

दिनांक 23 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 372, दिनांक 09 जुलाई, 1996 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 243, दिनांक 18 जनवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

उमेश पाठक,
सह. निरीक्षक.

(426)

कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज, शहडोल

शहडोल, दिनांक 31 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

क्र./परि./2013/461.—जिले में स्थित आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., गोरतरा, जिसका पंजीयन क्र. 665, दिनांक 20 मार्च, 1984 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने को कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, बुन्देल सिंह परते, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, शहडोल, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें, अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., गोरतरा, जिसका पंजीयन क्र. 665, दिनांक 20 मार्च, 1984 का पंजीयन रद्द करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 15 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(427)

शहडोल, दिनांक 15 मई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

क्र./परि./2013/466.—जिले में स्थित मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., सिंहपुर, जिसका पंजीयन क्र. 402, दिनांक 17 फरवरी, 1962 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने को कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, बुन्देल सिंह परते, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, शहडोल, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें, अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., सिंहपुर, जिसका पंजीयन क्र. 402, दिनांक 17 फरवरी, 1962 का पंजीयन रद्द करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 15 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(427-A)

बुन्देल सिंह परते,

उप-रजिस्ट्रार.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2013-भाद्र 8, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 15 मई, 2013

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.
2. जुताई.—जिला बुरहानपुर, बैतूल में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
3. बोनी.—जिला पन्ना, खरगौन में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
4. फसल स्थिति.—
5. कटाई.—जिला मण्डला में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, छतरपुर, सागर, सतना, उमरिया, राजगढ़, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 15 मई, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिली समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिली, मूँगमोठ, तुअर-कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, गन्ना सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुंगावली	..		4. (1) चना, गेहूँ, उड़द, मक्का, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राधोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, तिल, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		चना, जौ, राई-सरसों, अलसी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..		मसूर, मटर, आलू, प्याज		
4. पवई	..		अधिक.		
5. शाहनगर	..		(2) ..		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..		प्याज समान.		
4. सागर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) उड़द, मूँग सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		मसूर, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलियान	..				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोहागपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ब्यौहारी	..		(2) ..		
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. बांधवगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. सीतामऊ	..				
7. धुन्धडका	..				
8. शामगढ़	..				
9. संजीत	..				
*जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावद	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. नीमच	..		(2) ..		
3. मनासा	..				
*जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापीपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर, जौ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, ..	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. सोण्डवा	..				
4. भामरा	..				
5. कट्टीवाड़ा	..				
6. उदयगढ़	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महु (डॉ. अम्बेडकरनगर)	..				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) ज्वार, मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर, समान. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगोन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला पूर्ण-निमाड :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. मसूर, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, सरसों, अलसी, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	..		(2) उपरोक्त फसल सुधरी हुई.		
3. बैतूल	..				
4. मुलताई	..				
5. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) गेहूँ, मूँगमोठ अधिक. चना, मटर, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	..		4. (1) गेहूँ चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
4. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. डिण्डोरी	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सिवनी	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक. मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-सरसों, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला गुना, शहडोल, नीमच, रतलाम, बड़वानी व नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(406)